न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सावरमल बनाम जगदीश वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दावा	मु. नं. 55/2017	
2-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही हेतु दिनांक 17-9-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./ ... अधिकारी ... मीटिंग है ... दौरे/अन्य ... हेतु है। ... दिनांक 12-10-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
12.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पचांयत–कंचनपुर में आयोजित शिविर में पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के फौत होने पर उनके कायम मुकामान् को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् स्वीकार किया जाता है। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दिनांक 12.03.2020 को जारी प्रारम्भिक डिकी की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक/भू.अ./2021/ कैम्प/41 दिनांक 12.10. 2021 के द्वारा विधिक विभाजन प्रस्ताव मय जमाबन्दी नक्शा के प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर के दौरान ही प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से अपनी सहमति व्यक्त की एंव प्रकरण में आज ही अन्तिम डिकी जारी किये जाने का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.20 18:16:56 IST
Reason: SelfAttested

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी...

.... बनाम ... जगदीश ओ...

... सांवरमल .... नं. ... 55 .... सन् 2017

किस्म मुकदमा ...... दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	
	निवेदन किया। जिस पर बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा पेश दावपत्र बाबत तकास्मा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को डिकी का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.10.20 18:16:56 IST Reason: SelfAttested Rathore 12/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः— कचंनपुर	

—ः निर्णय ः—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम कचनपुर पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248 कुल किता 11 कुल रकबा 11.01 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 खातेदार काबिज काश्तकार है। खातेदार गोपाल, रामकुंआर, रुघा पि. मंगला फौत हो चुके है जिनके वारिसान् उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 है जिनको पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 सुगना पुत्र रूड़ा का हिस्सा बैंक के रहन होने से प्रतिवादी संख्या 17 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी मे दर्ज है परन्तु मौके पर पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण ने भूमियों का आपस में [illegible]म से भूमि के उपजाउपन व कम उपजाउपन के हिसाब से बाहमी बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार मौके पर वादीगण भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 2.87 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे है एंव खसरा नम्बर 237 रकबा 1.32 हैक्टर व 239 रकबा 1.46 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 1 एंव खसरा नम्बर 241, 244, 246, 248 पर प्रतिवादी संख्या 2 एंव खसरा नम्बर 242, 240, 245 पर प्रतिवादी संख्या 3 ता 16 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] पर 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 2 व हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी संख्या 3 ता [illegible] काबिज काश्त व आबाद चले

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.20 18:16:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आ रहे है। उक्तानुसार भूमि का विधिक तकास्मा करवाया जाकर पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 16 को अलग–अलग खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर खातेदारी अलग–अलग दर्ज करवाना चाहते है। इस बाबत उक्तानुसार भूमियों का विधिक तकास्मा करवाया जाकर भूमियों की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के नाम अलग – अलग दर्ज की जाकर अलग से लगान कायम किये जाने हेतु बाबत उक्त वादपत्र तकास्मा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 3 ता 16 के द्वारा दिनांक 08.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–कचंनपुर में हाजिर होकर वादीगण नम्बर 1 तां 3 के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादीगण नम्बर 2, 17 व 18 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 24.08.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 1 के फौत होने पर उनके वारिसान् को जरिये कायम मुकामी प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 लिया गया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एडवोकेट उपस्थित आये एंव जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। बावजूद अन्तिम अवसरों के भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर पेशी दिनांक 05.11.2019 को जवाब देही का अवसर बन्द किया जाकर प्रकरण को साक्ष्य में लिया गया। साक्ष्य वादीगण में वादी दीनानाथ उर्फ मातादा[illegible] गवाह में जगदीश पुत्र भूराराम जाट के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। इ[illegible] प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से अ[illegible]म डिकी जारी किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.20 18:16:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से पूर्व प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.03.2020 को जारी कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये। जिसकी पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत कचंनपुर में आयोजित शिविर के दौरान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक भू.अ./2021/कैम्प/44 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्राप्त हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में दौराने शिविर वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के फौत हो जाने पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण में संशोधित शीर्षक वादपत्र लिया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण ने उक्त भूमियों का विधिक विभाजन चाहा गया है। जिस बाबत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.20 18:46:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 के

12/10/21

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

नाम दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2021/कैम्प/44 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 के नाम पृथक–पृथक दर्ज किये जाने एंव लगान फाटनी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/10/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कंचनपुर

यह निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के कैम्पः–कंचनपुर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.10.20 18:16:56 IST
Reason: SelfAttested

12/10/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– कंचनपुर